न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 140/2018 दायरा दिनांक : 29.08.2018

उनवान

रामप्रसाद आयु 65 साल, पुत्र श्री रंगलाल, जाति मीणा, निवासी झारखण्ड, तहसील अटरू, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– रमेश चन्द पुत्र पुनीराम, जाति मीणा, निवासी बानपुर, तहसील अटरू, जिला बारां

2– सौभागमल पुत्र रामसिंह, जाति मीणा, निवासी बानपुर, तहसील अटरू, जिला बारां

3– सीमाबाई पत्नी केवलराम, जाति मीणा, निवासी बानपुर, तहसील अटरू, जिला बारां

4– नवल कुमार पुत्र रामसिंह, जाति मीणा, निवासी बानपुर, तहसील अटरू, जिला बारां

5– कलावती बाई पत्नी रघुवीर, जाति मीणा, निवासी बानपुर, तहसील अटरू, जिला बारां

6– भागचन्द पुत्र मोतीराम, जाति मीणा, निवासी बानपुर, तहसील अटरू, जिला बारां

7– रूपचन्द पुत्र रघुवीर, जाति मीणा, निवासी बानपुर, तहसील अटरू, जिला बारां

8– रामसिंह पुत्र श्रीकिशन, जाति मीणा, निवासी बानपुर, तहसील अटरू, जिला बारां

9— कालूलाल पुत्र लटूर लाल, जाति मीणा, निवासी बानपुर, तहसील अटरू, जिला बारां

10— राजेन्द्र कुमार पुत्र लटूरलाल, जाति मीणा, निवासी बानपुर, तहसील अटरू, जिला बारां

11— पार्वती बाई पत्नी रमेश चन्द, जाति मीणा, निवासी बानपुर, तहसील अटरू, जिला बारां

12— भगवान बाई पत्नी रमेश चन्द, जाति मीणा, निवासी बानपुर, तहसील अटरू, जिला बारां

13— हेमराज पुत्र कन्हैया लाल, जाति मीणा, निवासी खरखड़ा रामलोथान, तहसील अटरू, जिला बारां

14— खेमराज पुत्र कन्हैया लाल, जाति मीणा, निवासी खरखड़ा रामलोथान, तहसील अटरू, जिला बारां

15— मेघराज पुत्र कन्हैया लाल, जाति मीणा, निवासी खरखड़ा रामलोथान, तहसील अटरू, जिला बारां

16— अमरलाल पुत्र बजरंग लाल, जाति माली, निवासी बम्बोरी, तहसील अटरू, जिला बारां

17— राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार कवाई

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री बृजराज सिंह अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री रघुवीर गौड अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 23.12.2019**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या — 59/2018 निर्णय दिनांक 26.06.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण क्रम 1 लगायत 16 ने कोर्ट कैम्प खरखड़ा रामलोथान, तहसील अटरू के समक्ष धारा 251(क) राजस्थान टी0 एक्ट के तहत एक प्रकरण प्रस्तुत किया जिसमें बिना अपीलांट को सुनवायी एवं जवाबदेही का अवसर दिये एक तरफा सुनवायी करते हुए निर्णय पारित कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है । अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं कानूनी मान्यता प्राप्त सिद्धांतों के विपरीत एक तरफा होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय से पूर्व ना तो अपीलांट को कोई नोटिस तामील कराये ना ही उसे साक्ष्य एवं जवाबदेही का अवसर दिया । प्रथम तो उक्त आवेदन प्रोपर कोर्ट में प्रस्तुत होकर सुनवायी की जानी चाहिए थी लेकिन प्रकरण न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट खरखडा रामलोथान में प्रस्तुत कर वही उसका निर्णय कर दिया है जो विधि के सर्वमान्य सिद्धांतों के सर्वथा प्रतिकूल होने से निरस्त होने योग्य है । विवाद रास्ते से सम्बन्धित है जिसकी सुनवायी का अधिकार कैम्प कोर्ट को नहीं है ना ही खातेदार की भूमि में से रास्ता देने का उसे कोई कानूनी अधिकार है । उक्त निर्णय के तहत एक तरफा प्रार्थीगण की सुनवायी कर क्रियात्मक आदेश दिया गया है कि ''प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर टी एक्ट स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को अपने खेत तक जाने हेतु खसरा नम्बर 131 रकबा 2.14 हेक्टर खातेदार रामप्रसाद पुत्र रंगलाल मीणा की भूमि में से नक्शे में ए से बी दर्शाया गया है जिसकी लम्बाई 250 मीटर एवं चौडाई 4 मीटर है जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर अर्थात् 0.10 हेक्टर में से दिया जाता है तहसीलदार अटरू डी एल सी दर की दुगुनी राशि जमा करवाकर रास्ता कायम करें ।'' अपीलांट की आराजी में से रास्ता देने से पूर्व नियमानुसार उसकी जमीन को अधिग्रहण की कार्यवाही की जानी चाहिए थी त्तपश्चात अपीलांट को भूमि का मुआवजा तय कर मुआवजा राशि का भुगतान किया जाना चाहिए था लेकिन

अराजकतापूर्ण मनमाना जबरन अपीलांट की भूमि में से रास्ता उपलब्ध कराने का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.06.2018 अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । उभयपक्षीय बहस सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित है, जिसमें अपीलांट के अधिकारों का हनन नहीं करते हुए सक्षम प्रावधानों के तहत न्याय संगत निर्णय पारित किया है । अतः अपील खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.06.2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा